राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 33 / 2025

दायरा तिथि : 07 / 02 / 2025

निर्णय :– 4-6-2025

गजानन्द बनाम भगवती सिंह आदि

राजस्व वाद

1 गजानन्द पुत्र पूसाराम उम्र 32 वर्ष जाति कुम्हार निवासी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त, मो.नं.

– वादी

बनाम

1 भगवती सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत (शेखावत) निवासी गोपालपुरा मोड जयपुर जिला जयपुर

2 मदनलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

3 सुभाष भामू पुत्र रामनिवास भामू जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

4 सीताराम पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

5 श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय, बीदासर (चूरू)

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति हेतु

उपस्थित :–

1. रघुवीर भामू, एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. तहसीलदार, बीदासर वास्ते पैरोकार राज.

दिनांक : 4-6-2025

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने उक्त अनुवानी राजस्व वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 905/366 तादादी 3.8445 हेक्टेयर, वाके रोही ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य वादगत खेत का मौखिक रूप से विभाजन किया हुआ है लेकिन उक्त खेत खसरा भुमि का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। जब तक कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का समान अधिकार होता है। वादी के उपरोक्त भूमि का अपना हिस्सा कब्जा, काश्त उपयोग–उपभोग के अनुसार वादगत खेत के उतरी पूर्वी तरफ की कब्जा काश्त में है, उपरोक्त भूमि को वादी अपने हिस्सा–पांति भूमि की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में अलग से विभाजन कर सीमा कायम करवाने व अलग लगान कायम करवाने व उसके मालिकाना अधिकारों की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है। आदि–आदि वाद–पत्र पेश किया गया।

वाद–पत्र पेश होने पर दाता दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 दिनांक 20/03/2025 को स्वयं उपस्थित होकर एक राजीनामा मय नक्शा इस न्यायालय में पेश किया जिसमें पक्षकारों ने अपने राजीनामा में अंकित किया कि हम पक्षकारों ने आपस में मौखिक बंटवारा कर रखा है, जिसमें वादगत खसरा के उतरी–पूर्वी तरफ की वादी गजानन्द का कब्जा काश्त है जो गजानन्द के हिस्सा–पांति में आई हुई है व प्रतिवादी संख्या 02 मदनलाल की हिस्सा–पांति भूमि वादी गजानन्द के चिपता दक्षिणी तरफ की पूर्व से पश्चिम

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

फिर दक्षिणी तरफ प्रतिवादीसंख्या 03 सुभाष भामू के हिस्सा–पांति भूमि तक व प्रतिवादी संख्या 04 सीताराम के हिस्सा–पांति वादगत नक्शा भूमि के दक्षिणी तरफ की भूमि में पूर्वी तरफ की जो सड़क बीदासर–गोपालपुरा के पश्चिमी तरफ चिपता ही है, हिस्सा–पांति में व कब्जा–काश्त में है तथा सीताराम के चिपता पश्चिमी तरफ प्रतिवादी संख्या 01 भगवती सिंह के हिस्सा–पांति व कब्जा–काश्त की भूमि है एवं भगवती सिंह के पश्चिमी तरफ जो वादगत भूमि के दक्षिणी तरफ की भूमि प्रतिवादी संख्या 03 सुभाष भामू के हिस्सा–पांति, कब्जा–काश्त में है। इसी प्रकार पक्षकारों ने आपसी सहमति से उपरोक्त भूमि का बंटवारा जरिये राजीनामा पेश किया है व राजीनामा के साथ पेश नक्शा राजीनामा का भाग पढ़ा व समझा जावे का अंकित किया है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया व वादी ने अपने स्वयं के बयान पेश किये।

मुताबिक राजीनामा व वादी के वाद–पत्र के अनुसार उक्त पत्रावली में इस न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी कर आदेश फरमाया गया कि तहसीलदार बीदासर को खसरा नम्बर 904/866 तादादी 3.8445 हेक्टेयर वाके रोही दूंकर का मुताबिक हिस्सा व कब्जा–काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें। मुताबिक आदेश तहसीलदार बीदासर द्वारा अपने पत्र क्रमांक भूअभिलेख/2025/1077 दिनांक 02.06.2025 विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा तैयार कर इस न्यायालय में पेश किया।

वादी वकील की बहस विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई, जिसमें वादी वकील ने अपने वाद–पत्र का संक्षिप्त हवाला देते हुए निवेदन किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादगत खेत खसरा नम्बर 904/866 तादादी 3.8445 हेक्टेयर, वाके रोही ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिनमें वादी, का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खेत खसरा नम्बर 904/866 मीन तादादी 0.2529 हेक्टेयर उतरी–पूर्वी तरफ का हिस्सा–पांति व कब्जा काश्त में है व प्रतिवादी भगवती सिंह का खसरा नम्बर 904/866 मीन तादादी 0.9991 हेक्टेयर खसरा के नक्शा में दक्षिणी तरफ के हिस्से में सीताराम व सुभाष भामू के बीच में हिस्सा पांति व कब्जा–काश्त में है। प्रतिवादी मदनलाल के हिस्सा पांति खेत खसरा नम्बर 904/866 मीन तादादी 0.1948 हेक्टेयर गजानन्द के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिमी सींव तक फिर दक्षिणी तरफ सुभाष भामू के हिस्सा–पांति तक कब्जा काश्त में है व प्रतिवादी सुभाष भामू खेत खसरा नम्बर 904/866 मीन तादादी 0.9991 हेक्टेयर नक्शा के दक्षिणी–पश्चिमी तरफ हिस्सा–पांति कब्जा–काश्त में है व प्रतिवादी सीताराम का हिस्सा–पांति खेत खसरा नम्बर 904/866 मीन तादादी 1.3607 हेक्टेयर नक्शा में सड़क गोपालपुरा–बीदासर के पश्चिमी तरफ पर कब्जा काश्त है को हिस्सा–पांति में रखा गया है व प्रतिवादीगण भगवती सिंह व सुभाष भामू के आवागमन हेतु रास्ता जो सीतारम के हिस्सा–पांति भूमि में दक्षिणी सींव के पास–पास होते हुए भगवती सिंह के हिस्से–पांति भूमि के दक्षिणी सींव के पास–पास, सुभाष भामू के हिस्सा–पांति भूमि तक आवागमन के लिए रहेगा जो वादगत खेत खसरा नम्बर 904/866 मीन तादादी 0.0379 हेक्टेयर है, जो राजस्व रेकॉर्ड में सीताराम, भगवती सिंह व सुभाष भामू के नाम दर्ज किया जावे। इस प्रकार समस्त खातेदारों की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में अलग–अलग दर्ज कर अलग–अलग लगान कायम किया जावे का निवेदन किया है। इसी प्रकार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेज व राजीनामा एवं साक्ष्य वादी एवं तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा का अवलोकन किया गया। खेत खसरा नम्बर 904/866 तादादी 3.8445 हेक्टेयर, वाके रोही ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिनमें मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी गजानन्द पुत्र पुसाराम जाति कुम्हार निवासी बीदासर का वादगत खेत खसरा संख्या 904/866 मीन तादादी 0.2529 हेक्टेयर उतरी–पूर्वी तरफ की हिस्सा भूमि विभाजन प्रस्ताव में अंकित है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 भगवती सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत (शेखावत) निवासी जयपुर का विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार वादगत खेत खसरा संख्या 904/866 मीन तादादी 0.9991 हेक्टेयर दक्षिणी तरफ के हिस्से में सीताराम व सुभाष भामू के बीच में, प्रतिवादीगण संख्या 2 मदनलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी दूंकर का विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार खेत खसरा संख्या 904/866 मीन, तादादी 0.1948 हेक्टेयर गजानन्द के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिमी सींव तक फिर दक्षिणी तरफ सुभाष भामू के हिस्सा–पांति तक, प्रतिवादीगण संख्या 3 सुभाष भामू पुत्र रामनिवास भामू जाति जाट निवासी दूंकर को विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार खेत खसरा संख्या 904/866 मीन तादादी 0.9991

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

हेक्टेयर दक्षिणी–पश्चिमी तरफ व प्रतिवादीगण संख्या 4 सीताराम पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी दूंकर का विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार खेत खसरा संख्या 904/866 मीन तादादी 1.3607 हेक्टेयर हिस्सा सड़क गोपालपुरा–बीदासर के पश्चिमी तरफ की विभाजन प्रस्ताव में अंकित है व खातेदार सुभाष व भगवती सिंह के खेत में आवागमन हेतु रास्ता कायम किया गया है, जो सीताराम के हिस्सा–पांति भूमि की दक्षिणी तरफ की सींव के पास–पास फिर भगवती सिंह के हिस्सा–पांति की भूमि के दक्षिणी तरफ की सींव के पास–पास होते हुए सुभाष भामू के हिस्सा–पांति की भूमि तक आवागमन का रास्ता कायम किया जाकर रास्ता भूमि के खसरा संख्या 904/866 मीन 0.0379 हेक्टेयर खातेदार भवगती सिंह, सुभाष व सीताराम के हिस्से–पांति भूमि में से कम करते हुए रास्ता भूमि भगवती सिंह, सुभाष व सीताराम के नाम की अलग खातेदारी दर्ज की जानी उचित है।

आदेश

वादी का वाद जरीये विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार अंतिम रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग का खेत खसरा नम्बर 904/866 तादादी 3.8445 हेक्टेयर, वाके रोही ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिनमें मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी गजानन्द पुत्र पुसाराम जाति कुम्हार निवासी बीदासर का वादगत खेत खसरा संख्या 904/866 मीन तादादी 0.2529 हेक्टेयर उतरी–पूर्वी तरफ की हिस्सा–पांति, कब्जा काश्त में है को तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 भगवती सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत (शेखावत) निवासी जयपुर का विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार कब्जा–काश्त की है जो खेत खसरा संख्या 904/866 मीन तादादी 0. 9991 हेक्टेयर दक्षिणी तरफ के हिस्से में सीताराम व सुभाष भामू के बीच में है को व प्रतिवादीगण संख्या 2 मदनलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी दूंकर का विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार कब्जा–काश्त खेत खसरा संख्या 904/866 मीन तादादी 0.1948 हेक्टेयर गजानन्द के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिमी सींव तक फिर दक्षिणी तरफ सुभाष भामू के हिस्सा–पांति तक, प्रतिवादीगण संख्या 3 सुभाष भामू पुत्र रामनिवास भामू जाति जाट निवासी दूंकर का विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार कब्जा काश्त खेत खसरा संख्या 904/866 मीन तादादी 0.9991 हेक्टेयर दक्षिणी–पश्चिमी तरफ व प्रतिवादीगण संख्या 4 सीताराम पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी दूंकर का विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार कब्जा काश्त खेत खसरा संख्या 904/866 मीन तादादी 1.3607 हेक्टेयर हिस्सा सड़क गोपालपुरा–बीदासर के पश्चिमी तरफ की विभाजन प्रस्ताव में अंकित है व खातेदार सुभाष भामू व भगवती सिंह के खेत में आवागमन हेतु रास्ता कायम किया गया है, जो सीताराम के हिस्सा–पांति भूमि के दक्षिणी तरफ की सींव के पास–पास फिर भगवती सिंह के हिस्सा–पांति की भूमि के दक्षिणी तरफ की सींव के पास–पास होते हुए सुभाष भामू के हिस्सा–पांति की भूमि तक आवागमन का रास्ता कायम किया जाकर रास्ता भूमि के खसरा संख्या 904/866 मीन 0.0379 हेक्टेयर खातेदार भवगती सिंह, सुभाष भामू व सीताराम के हिस्से–पांति भूमि में से कम करते हुए रास्ता भूमि भगवती सिंह, सुभाष भामू व सीताराम के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर समस्त खातेदारों का अलग, अलग खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर अलग–अलग लगान कायम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अंतिम निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी हो खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 4-6-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर